संख्या-२/२४१/२६-ब0प्र0-२०१४-०६(विविध)/२००४

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण — लखनऊ:दिनांक ०४ मार्च, २०१४

विषय-बछरावां, रायबरेली में निर्मित ग्रामीण की अवशेष निर्माण कार्य हेतु एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत रू.२३.१२ लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-७९२/छ-१७/प्रा0वि0द0/२००५, दिनांक ३० दिसम्बर, २०१३ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के आय-व्ययक में अनुदान सं0-८३ से ग्रामीण स्टेडियम की अवशेष निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के आगणन रू.५३.९४ लाख पर पी.एफ.ए.डी. द्वारा आंगणित धनराशि रू.५४.६० लाख में से अवशेष धनराशि रू.२३,१२,०००/- (तेईस लाख बारह हजार रूपये मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

२- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेगें कि उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में ही किया जाय और उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

३- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय प्रतिनिहित अधिकारों की सीमा के अधीन किया जायेगा तथा जहां कही भी व्यय हेतु शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यक्ता हो, उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय। व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय और शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-१-४६०/दस-२०१३-२३१/२०१३, दिनांक २८ मार्च, २०१३ में दिये गये निर्देशों आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

४- व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-सी0ए0-९३४/दस-२००८-मित0-१/२००७, दिनांक ०२ सितम्बर, २००८ का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

५- जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रायोजन के लिए किया जायेगा तथा इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी जिसके लिए आप उत्तरदाई होंगे। उक्त धनराशि का उपयोग करते समय योजना आयोग भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित शर्तों/दिशा निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पी.एफ.ए.डी. आंकलन की प्रति संलग्न है।

६- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के आय-व्ययक के अनुदान सं0-८३ के अधीन लेखाशीर्ष "४२०२-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-०३ खेलकूद तथा युवा सेवा-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०३-अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण-२४-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

७- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-ई-३-५६२/दस-२०१४, दिनांक २८ फरवरी, २०१४ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(दीना नाथ)
अनु सचिव।

संख्या-२४१(१)/२६-ब0प्र0-२०१४-०६(विविध)/२००४ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
२- प्रधान महालेखाकार सिविल (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
३- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
४- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
५- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३
६- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१
७- प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्सन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लख्नऊ (कार्यदायी संस्था)
८- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीना नाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in